

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्‍नोई
2. प्रकरण संख्या : 20/2022
3. उनवान : ग्राम पंचायत ढाणी नागान् पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

-निगरानीकार

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी श्री रामस्वरुप कुमावत जाति कुमावत निवासी ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

-विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 24/02/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी निगरानीकार की ओर से।  
ब) अधिवक्ता श्री रामस्वरुप कुमावत गैरनिगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी ने आवेदन पत्र पढ़ा चाहने बाबत वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध दिनांक 21/8/1999 को पट्टा संख्या 23 क्षेत्रफल 208. 1/3 वर्गमीटर का तत्कालीन ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर जारी करवा लिया। उक्त जारी पट्टा से पूर्व ग्राम पंचायत ने आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क प्राप्त नहीं कर व नियम 142 से 158 की अवहेलना करते हुये बेशकीमती भूमि का जारी कर दिया। जिससे ग्राम पंचायत को भयंकर आर्थिक नुकसान हुआ, जिसकी अपील पंचायत समिति में की गई, पंचायत समिति के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी संख्या 79/2018 उनवानी बैणाराम बनाम पंचायत समिति सांभरलेक पेश की गई। उक्त निगरानी को रिमाण्ड पंचायत समिति में इस निर्देश के साथ किया कि प्रत्येक पट्टे की जांच कर निरस्त करवाने बाबत निगरानीयां प्रस्तुत करें। जिसकी पालना में पंचायत समिति जोबनेर द्वारा उक्त पट्टों की जांच कर निगरानीयां प्रस्तुत करने बाबत ग्राम पंचायत को दिनांक 19/7/21 निर्देशित किया गया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व आवेदन दिनांक को ही बिना आवेदन शुल्क व आवेदन के साथ बिना नक्शा संलग्न किये बिना शुल्क लिये, आपत्ति नोटिस (एक बार) जारी करने के आदेश व पंच निरीक्षण रिपोर्ट के तलब के आदेश कर दिये। जबकि पट्टेशुदा जमीन की मौके पर किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी बसाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्लान/योजना नहीं बनायी गयी तथा ना ही यह उल्लेख किया गया कि उक्त पट्टाधारी भूमिहीन हैं अथवा नहीं, मुख्य रोड पर स्थित है तथा कॉमर्शियल है या आवासीय हैं, का भी उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार से नियम 143, 145 के विरुद्ध जाकर सीधे ही नियम 146 स्थल निरीक्षण जिसका सचिव ऐसे आवेदन को प्रारूप 21 में एक रजिस्टर में रजिस्टर करेगा व फाईल खोलेगा, ऐसा नहीं किया गया है, ना ही शुल्क का उल्लेख है तथा ना ही स्थल निरीक्षण के लिये तीन वार्डपंचो की समिति जो अगली मीटिंग में रखने का गठन का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त नियम की पालना आवेदक के आवेदन के बाद में होनी चाहिए थी, जो

67  
निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

नहीं की गई। इसी प्रकार नियम 146 के उपरान्त नियम 147 की पालना में अन्तिम विनिश्चय होनी चाहिए था जिसका उल्लेख भी नहीं किया गया, ना ही नियम 148 की पालना अनुसार नोटिस का प्रकाशन हुआ। उसके बाद यदि कोई आपत्ति या आक्षेप होता तो उसका निपटारा होता। परन्तु नियम 148 विधि अनुरूप नहीं की, ना ही नियम 149 की पालना कतई नहीं की गई, ना ही नियम 152 की पालना की गई। चूंकि भूमि बेशकीमती, मुख्य आबादी व रोड पर स्थित है, जिसकी बिना निलामी के अर्थात् तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दर लेकर ही पट्टा जारी किया जा सकता था, जो नहीं किया गया और ना ही नियम 158 की श्रेणी में उक्त पट्टाधारी कतई नहीं आता है, की अवहेलना करते हुये 02/-रूपये प्रति वर्गगज नजराना लेकर मुख्य रोड पर स्थित उक्त बेशकीमती भूखण्ड का विधि विरुद्ध पंचायत नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी कर दिया। यदि भूखण्ड खाली है तो अधिकतम 150 वर्गगज नियम 158(1) के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित किया जा सकता है। 300 वर्गगज खाली भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जबकि उक्त पट्टा खाली भूमि का रियायती दर पर 208.1/3 वर्गगज पंचायत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पंचायती राज नियमों के विरुद्ध जाकर जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08/6/2022 को की गई जांच रिपोर्ट ग्राम पंचायत/2022/जांच/08 दिनांक 21/6/2022 में स्पष्ट रूप से जारी किये गये सभी पट्टे विधि विरुद्ध मित्रगणों, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य जारी करना पाया गया है तथा उक्त जारी पट्टों के अवलोकन से सचिव व गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है, मौका निरीक्षण रिपोर्ट में केवल दो/तीन वार्ड पंच वो ही अन्य विधि विरुद्ध जिनकी निगरानीयां इस न्यायालय में विचाराधीन है, जारी पट्टो पर गुल्ली देवी गोविन्दराम, झमरी देवी वार्ड पंचो के द्वारा तैयार की गई हैं, जो पूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार उक्त: विधि विरुद्ध जारी पट्टा खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है।

अन्त में संकल्प संख्या 2 दिनांक 21/8/1999 की अनुपालना में पट्टा संख्या 23 दिनांक 21/8/1999 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 23 दिनांक 21/08/99 एवं उक्त पट्टे की पत्रावली संबंधित दस्तावेजात, पंचायत समिति जोबनेर की निगरानी पेश करने का आदेश, इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19/07/2021 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। पत्रावली में मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि सन् 1999 के पट्टे की अपील सन 2022 में प्रस्तुत की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है क्योंकि पंचायत रिकार्ड अनुसार निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे की जानकारी प्रारंभ से रही है किन्तु मियाद में छूट वाहन बाबत ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा ना ही न्यायालय द्वारा पत्रावली में की गई रिपोर्ट में मियाद के बिन्दू बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से निगरानी मियाद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। धारा 97 पंचायत राज, अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टा निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की गई है। तत्पश्चात पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता का यह कहना गलत है कि आवेदन शुल्क व आवेदन के साथ नक्शा संलग्न किये बिना व शुल्क लिये बिना पट्टा जारी किया हो, निगरानीकर्ता ने उक्त मद में स्वयं ने स्वीकार किया है कि नोटिस जारी किया गया व नोटिस जारी करने के बाद पंच निरीक्षण रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये थे।


न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड में नोटिस, निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण पत्रावली में संलग्न है जिसमें विधि अनुसार शुल्क जमा कर पट्टा जारी किया है। उक्त शुल्क जमा करने का इन्द्राज पट्टे में भी है। गैर निगरानीकर्ता उपरोक्त वर्णित पट्टे की भूमि पर सन 1999 से पूर्व ही पुख्ता निर्माणात कराकर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। 12 वर्ष पश्चात स्वतः ही एडवर्स पजेशन के आधार पर गैर निगरानीकर्ता को उक्त भूमि का हक व अधिकार प्राप्त हो गया था। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नोटिस जारी करने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप गाम पंचायत में प्राप्त नहीं होने पर विधिवत प्रक्रिया अमल में हुई पट्टा जारी किया है। यदि नियमों के विरुद्ध कोई पट्टा जारी किया जाता तथा राजकीय राशि का गबन किया जाता तो निगरानीकर्ता तत्कालीन सरपंच सचिव पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाता। निगरानीकर्ता स्वयं तत्कालीन सरपंच से राजनैतिक द्वेषता रखता है। इस कारण उसने हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी याचिका पेश की है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। गैरनिगरानीकर्ता 1999 से पूर्व ही पट्टाशुदा भूमि पर पुख्ता निर्माण कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इस कारण कब्जेशुदा भूमि पर ही विधिवत आपत्तियां मानकर तथा पंच निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराकर तथा विधिवत शुल्क जमा कराकर पट्टा प्राप्त किया है। इस कारण निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। यदि अविधिक रूप से तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा पट्टे जारी किये तो उनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई तथा 1999 में जारी किये गये पट्टे के विरुद्ध सन 2022 में उक्त निगरानी पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। एडवर्स पजेशन के आधार पर गैर निगरानीकर्ता उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि का स्वामी हो गया है। उक्त पट्टों पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त निगरानी किस प्रकार अन्दर मियाद है तथा ना ही 1999 में जारी पट्टों बाबत सन 2022 में निगरानी पेश की है इस दौरान जो समय व्यतीत हुआ उसको क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध दिनांक 21/8/1999 को पट्टा संख्या 23 क्षेत्रफल 208.1/3 वर्गगज का तत्कालीन ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत ने आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क प्राप्त नहीं कर व नियम 142 से 158 की अवहेलना करते हुये पट्टा जारी कर दिया। जिससे ग्राम पंचायत को भंगकर आर्थिक नुकसान हुआ। इस न्यायालय की निगरानी संख्या 79/2018 उनवानी बैणाराम बनाम पंचायत समिति सांभरलेक के निर्णय दिनांक 19/07/2021 की पालना में पंचायत समिति जोबनेर द्वारा उक्त पट्टों की जांच कर निगरानीयां प्रस्तुत करने बाबत ग्राम पंचायत को दिनांक 19/7/21 निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी बसाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्लान/योजना नहीं बनायी गयी। उक्त पट्टाधारी भूमिहीन है अथवा नहीं तथा कोभासीयत है या अर्वासीय हैं, का भी उल्लेख नहीं किया। भूमि बेशकीमती मुख्य आबादी व रोड पर स्थित है, जिसकी बिना निलामी के अर्थात् तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दर लेकर ही पट्टा जारी किया जा सकता था, जो नहीं किया गया और 02/-रूपये प्रति वर्गगज नजराना लेकर पंचायत नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी कर दिया। नियम 158(1) के अनुसार यदि मुख्यपट्ट खाली है तो अधिकतम 150 वर्गगज भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित किया जा सकता है। जबकि उक्त पट्टा खाली भूमि का रियायती दर पर 208.1/3 वर्गगज पंचायत अपने

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पंचायती राज नियमों के विरुद्ध जाकर जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08/6/2022 को की गई जांच रिपोर्ट में जारी किये गये सभी पट्टे विधि विरुद्ध मित्रगणों, रिश्तेदारों को लाम पहुंचाने के उद्देश्य जारी करना पाया गया है। पट्टों पर सचिव व गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। अतः संकल्प संख्या 2 दिनांक 21/8/1999 की अनुपालना में पट्टा संख्या 23 दिनांक 21/8/1999 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त करमाया जावे।

गैरनिगरानीकार की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में उक्त किया है कि गैरनिगरानीकार का आबादी भूमि पर 1999 से पूर्व अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, पुख्ता मकानात का निर्माण हो रखा है, जिसमें नल बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, वोटर लिस्ट में गैरनिगरानीकार का नाम अंकित है, उनके नाम से राशन कार्ड जारी किये हुए है। जिसमें गैर निगरानीकार का व उनके परिवार के सदस्यगणों का नाम अंकित है। गैर निगरानीकार को ग्राम पंचायत ढाणी नागान जोबनेर ने ग्राम पंचायत एक्ट व ग्राम पंचायत रूल्स के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा दिया था। उस समय ग्राम पंचायत के सदस्यगण व पंचो ने बाद जांच पट्टा दिया, नजराना राशि ली और उस नजराना राशि से राजीव गांधी पाठशाला के निर्माण व पंचायत के अन्य डवलपमेन्ट के कार्यों में नेक नियति से खर्चा किया गया। गैरनिगरानीकर्ता ने दिनांक 10-7-1999 को अपने कब्जेशुदा आबादी भूमि का पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, तत्पश्चात एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण में तीन पंचो के द्वारा भूमि का निरीक्षण करके पंचायत में गैरनिगरानीकर्ता को आबादी भूमि का पट्टा देने की सिफारिश पंचायत में पेश की है। दिनांक 21-8-1999 को एक माह तक किसी को भी आपत्ति नहीं होने पर एक माह बाद पंचायत द्वारा कोरम के समक्ष नजराना राशि लेकर पट्टा देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। तत्पश्चात पंचायत ने ग्राम पंचायत एक्ट व ग्राम पंचायत रूल्स के अनुसार गैर निगरानीकार को आबादी भूमि का पट्टा दिया था। उक्त पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है। सन् 1999 के पट्टे की अपील सन 2022 में प्रस्तुत की है जो स्पष्ट रूप से किया बाहर है क्योंकि पंचायत रिकार्ड अनुसार निगरानीकर्ता को उक्त की जानकारी प्रारंभ से रही है किन्तु मियाद में छूट चाहने बाबत ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा ना ही न्यायालय द्वारा पत्रावली में की गई रिपोर्ट में मियाद के विन्दू बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टा निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की गई है। तत्पश्चात पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता का यह कहना गलत है कि आवेदन शुल्क व आवेदन के साथ नक्शा संलग्न किये बिना व शुल्क लिये बिना पट्टा जारी किया हो, निगरानीकर्ता ने उक्त मद में स्वयं ने स्वीकार किया है कि नोटिस जारी किया गया व नोटिस जारी करने के बाद पंच निरीक्षण रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये थे। न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकार्ड में नोटिस, निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण पत्रावली में संलग्न है जिसमें विधि अनुसार शुल्क जमा कर पट्टा जारी किया है। उक्त शुल्क जमा करने का इन्द्राज पट्टे में भी है। गैर निगरानीकर्ता उपरोक्त वर्णित पट्टे की भूमि पर सन 1999 से पूर्व ही पुख्ता निर्माणात कराकर उपयोग उपयोग में लेता आ रहा है। 12 वर्ष पश्चात स्वतः ही एडवर्स पर्जेशन के आधार पर गैर निगरानीकर्ता को उक्त भूमि का हक व अधिकार प्राप्त हो गया था। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नोटिस जारी करने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप ग्राम पंचायत में प्राप्त नहीं होने पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये पट्टा जारी किया है। यदि नियमों के विरुद्ध कोई पट्टा जारी किया जाता तथा राजकोष राशि का गबन किया जाता तो निगरानीकर्ता तत्कालीन सरपंच सचिव पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाता। निगरानीकर्ता स्वयं तत्कालीन सरपंच से राजनैतिक द्वेषता रखता है। इस कारण उसने हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी



अतिरिक्त, बिना हस्ताक्षर  
(सचिव) जयपुर

याचिका पेश की है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। गैरनिगरानीकर्ता 1999 से पूर्व ही पट्टाशुदा भूमि पर पुख्ता निर्माण कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इस कारण कब्जेशुदा भूमि पर ही विधिवत आपत्तियां मानकर तथा पंच निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराकर तथा विधिवत शुल्क जमा कराकर पट्टा प्राप्त किया है। इस कारण निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। यदि अविधिक रूप से तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा पट्टे जारी किये तो उनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई तथा 1999 में जारी किये गये पट्टे के विरुद्ध सन 2022 में उक्त निगरानी पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। एडवर्स पजेशन के आधार पर गैर निगरानीकर्ता उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि का स्वामी हो गया है। उक्त पट्टों पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। न्यायालय को धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम में निगरानी प्रस्तुतीकरण में मियाद के बिन्दू का प्रावधान नहीं होने के कारण हस्तगत निगरानी पर मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। तदानुसार निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत ढाणी नागान द्वारा जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 21/08/1999 के विरुद्ध पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा ना ही नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया अथवा नियमानुसार पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया सम्पादित की गई। पंचायती राज अधिनियम में वर्णित नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की जांच रिपोर्ट क्रमांक 08 दिनांक 21.06.2022 में भी निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज नियमों के विरुद्ध जारी होने का अंकन किया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 157 व 158 के अनुरूप स्वीकार्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतम 300 वर्गगज का पट्टा गृह निर्माण हेतु कब्जे के आधार पर एवं भूमिहीन को 150 वर्गगज तक का पट्टा जारी किया जा सकता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में गैरनिगरानीकार भूमिहीन नहीं था व ना ही प्रश्नागत भूमि पर उसका कब्जा था, जो कि आवेदन पत्र में स्वयं आवेदक द्वारा मात्र कब्जा बताया है तथा मकान बनाने की मंशा बताई है। प्रार्थना पत्र के अंत में तथा मध्य में नाप बाद में जोड़ी गयी है, जो संदेह उत्पन्न करती है। बावजूद ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पट्टा जारी नहीं होने के कारण निगरानीधीन पट्टा अवैध व शून्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीधीन संकल्प संख्या 2 दिनांक 21/8/1999 की अनुपालना में पट्टा संख्या 23 दिनांक 21/8/1999 निरस्त किया जाता है। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।



(कुन्तल विश्‍नोई)  
अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर।